

**कार्यालय,
बचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 14-8-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकांश मातृशाला लखनऊ की शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यमान लखनऊ लखनऊ की शिक्षा संस्थाओं की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित गई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध्याह्न में पूर्व से सम्बद्ध विद्यमान इन इच्छित पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

“परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिन्होंने द्वारा एक/दो वषीय पाठ्यक्रम संघालित किये जाने हेतु अनुमति किया गया है, वे संस्था में समिति द्वारा विचार किया एवं इस सत्र के साथ एक/दो वषीय पाठ्यक्रमों को परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया कि संस्था का निरीक्षण परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा करा लिया जाये तथा निरीक्षण समिति की संसुति के आधार पर ही संस्था को एक/दो वषीय पाठ्यक्रम संघालन की अनुमति प्रदान की जाए।”

अतः निम्नानुसार संघालित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा सिने गरी निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित सत्रों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्प्लॉयमेंट/विद्यमान सत्र 2019-20 में अनुमति प्राप्त	वर्षिक द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमति प्राप्त
1	श्रीमती विद्या देवी कॉलेज काठमांडू, नया	विद्यमान एक वर्षीय विद्यमान/विस्तार एक से विद्यमान विद्यमान/विस्तार एक अनुमति प्रदान एक वर्षीय विद्यमान/विस्तार एक सत्र विद्यमान विद्यमान/विस्तार एक प्रवेश क्षमता सत्र विद्यमान विद्यमान विद्यमान/विस्तार एक वर्षीय एक सत्र विद्यमान	50 50 50 50 50 50	50 50 50 50 50

ध्यानदा हेतु, श्री

- ✓ संस्था एम्प्लॉयमेंट/विद्यमान द्वारा निर्धारित की गयी सत्रों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विद्यमान लखनऊ तथा अन्य निर्मित विद्यमान एवं आवेदनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इच्छित पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 20,000.00/- प्रत्येक दो वर्षीय वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 40,000.00/- प्रत्येक एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 20,000.00 प्रत्येक शुल्क ही प्रत्येक प्राप्त/प्रदान से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त शुल्क प्राथमिक शिक्षा परिषद/संस्थाओं में शुल्क के संग्रह में संग्रह-समय पर संग्रह द्वारा निर्देश किये जाने वाले आसपास प्रेषित करेंगे, और अनुमति प्रदान की जायेगा अंततः ही। और निर्धारण

समिति द्वारा की गयी 2018-20 सेतु नीति का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो नीति को सर्वोत्तम रूप में लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्रारंभिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाय) प्रतिव्यवस्था-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जांचों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के रिजल्ट का जाने की स्थिति में प्रत्येक प्रवेश प्रत्याशय को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त-संबद्ध पर निर्भर प्रत्याशयों को संयुक्त विधिकरण एवं संबद्धता सुलभ जगह बनना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/टीचर्स से आगामी वर्ष सेतु अनुपालन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रत्येक प्रवेश प्रत्याशय द्वारा कम्पले गये डिप्लो/मिस्त्री/प्रतिनिधियों/प्रत्याशयों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा कम्पले गये डिप्लो, डिप्लोमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने की शर्तें बनायीं होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा कम्पली पत्राचारण को संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो द्वारा संस्था में प्रस्ताव प्रस्तुत/प्रतिपत्र संस्था का होगा और विधिकरण एवं सेतु नीति की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रत्येक प्रवेश प्रत्याशय को सेतु नीति का पालन किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष के संस्था में नए प्रत्याशय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बनानी होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा कम्पली पत्राचारण संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्रत्येक प्रवेश प्रत्याशय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा सेतु कार्यनिर्देशन प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को प्रत्याशय बनाना होगा अन्यथा प्रवेश परीक्षा की कार्यनिर्देशन के पालन से संबंधित संस्था पर नए शर्तें प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रत्येक प्रवेश प्रत्याशय द्वारा प्रवेश सेतु निर्गत नवीनतम प्रत्याशय मिस्त्री का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की प्रत्येक सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएं, प्रत्येक, प्रत्येक-संस्था, प्रत्याशय, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, प्रत्याशय सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रतिपालन सेतु प्रत्येक प्रत्याशय प्रत्याशय बनाने के साथ विवरण सेतु नीति की संस्था में प्रत्याशय आवश्यक प्रत्याशय सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्याशय/संबंधित प्रत्याशय को बनाने जाने सेतु निर्देशन समिति को संस्था प्रत्याशय बनाने परे प्रारंभिक, सुनि-भवन, प्रत्याशय, प्रत्याशय द्वारा ही का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रत्याशय के प्रत्याशय में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रत्याशय का प्रत्याशय किसी अन्य कार्य के लिए बन रही है तो प्रत्याशय संस्था को संबद्धता संस्था किसे जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संबद्धता वाली का अनुपालन न किसे जाने प्रत्याशय किसे जाने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुपालन/प्रत्येक कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्रारंभिक/परिषद संस्था/2018/1133-2020

तदु दिनांक 15-5-2018

प्रतिनिधि- प्रत्याशय/निदेशक, सीमाती विद्या पी.सी. एम्प्लेज और प्रारंभिक, मनुवा।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
धरमपुर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 18-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय आदर्शित प्राथमिक शिक्षण, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विभागीय कार्ययोजना प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में वार्षिक कार्ययोजना में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभिते द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आर्सेटिन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदव्यवस्था/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार कराते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-3 में विभागीय इन कार्ययोजना पारव्यवस्था संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रथमचरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"निम्नी श्रेण में सम्बद्धित विभागीय इन कार्ययोजना पारव्यवस्था संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा नई संस्थाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनको नाम के समुदाय अखिल पारव्यवस्था/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभिते द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्ययोजना से पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित वाली के अर्धीन पारव्यवस्था एवं प्रवेश समता अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था श्रेण	संस्था का नाम	पारव्यवस्था का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	लखनऊ	राजकीय शिक्षा सेवा बोर्डिंग जे.ए.ए. नगर।	विभागीय इन कार्ययोजना	६०	६०

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एम्प्लॉयमेंट/पीसीआईई द्वारा निर्णयित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था धरमपुर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागीयकारी लखनऊ, वार्षिक निम्नलिखित-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं कार्ययोजना के अनुक्रम में कार्ययोजना के साथ समुदाय निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित समुदाय श्रेण कार्ययोजना पारव्यवस्था हेतु ₹० 20,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के कार्ययोजना पारव्यवस्था हेतु ₹० 40,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक संस्था दो वर्षों के कार्ययोजना पारव्यवस्था के अतिरिक्त हेतु ₹० 22,00,00 प्रतिवर्ष समुदाय की कार्ययोजना/प्रवेश समता में प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रवेश/पारव्यवस्था में समुदाय के सम्बन्ध में समता-समता पर समता द्वारा निर्णय दिये जाने वाले मानक-प्रमाण कार्ययोजना श्रेण, और पारव्यवस्था कार्ययोजना शिक्षा

(Handwritten Signature)

जान आवश्यक होगा। नीचे निर्दिष्ट समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीचे का पुर्ननिर्वाण किया जाता है तो नीचे की नवीनताएं करें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (एकमात्र प्रतिष्ठित शिक्षा समितियों तथा एम समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा ज्ञान) विनियमवर्ती-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जांचों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरीत सार्वजनिक को अनुसूचित विधायक एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करवा दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को एमआईटीआईटीई/पीसीआईआईटी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/सार्वजनिक/निरीत एवं निरीतक, प्रतिष्ठित शिक्षा, एमए, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, एमए प्रतियोगिता शिक्षा परिषद, एमए द्वारा बनाये गये विधि, अधिनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को विवेक बंध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था एमआईटीआईटीई संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा निर्देशालय एवं प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दावा किया जाता है तथा दावा कर को संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संस्था आदेश निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व पीसीआईआईटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद उत्तरदायी को उत्तरदायी बनाया होगा अतः एमआईटीआईटीई को (अधिनियम के अन्तर्गत में) संस्था संस्था एमए पर शीटों प्रवेश) अनुमोदित नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्थाएं द्वारा प्रवेश हेतु निरीत नवीनताएं आवश्यक विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सुनिश्चित जो संस्था की एमआईटीआईटीई एमए, एमए-एमए, एमएएम, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, उत्तरदायी सुनिश्चित और एक विवरण उपलब्ध करवाया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रतिष्ठित हेतु समुदाय सार्वजनिक उत्तरदायी करने को समय-समय पर करने को संस्था में संस्था आवश्यक उत्तरदायी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सार्वजनिक/सार्वजनिक पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट समिति को संस्था उत्तरदायी बनाने गये अधिनियम, सुनिश्चित, नवीनता, नवीनता, उत्तरदायी आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तरदायी का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था करने को अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थियों का अनुसूचितताएं आवश्यकताएं की जाएगी।

(सह उत्तरदायी शिक्षा)
सचिव

पुस्तक- प्रतिष्ठित/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1572-3141

तारीख: 15-09-2020

प्रतिष्ठित-प्रधानाचार्य/निरीतक, श्रीमती विजया देवी कॉलेज और कॉमर्सी, गुरुदासपुरा।

(सह उत्तरदायी शिक्षा)
सचिव

कार्यसूच

राष्ट्रीय पब्लिक शिक्षा परिषद

2021-22 (संशोधन)

संख्या- राष्ट्रीय/परिषद/सम्बद्धता/2021-0537

संशोधन दिनांक 09/08/2021

कार्यसूच का-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय अडमिनिस्ट्रेशन (ग्रेजुएटिफिकेशन), नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संशोधन से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यसूच में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से अंशद्वारा संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदोन्नत/प्रवेश सम्बद्धता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विभिन्न संस्था को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न/नई शर्तों के अंतर्गत पदोन्नत एवं उन्नत अंशद्वारा प्रवेश सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1982-SMT. VIJLA DEVI COLLEGE OF PHARMACY, MATHURA.			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिनिस्ट्रेशन/प्रीवियस/द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT	60	60
3	P.G.DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
4	P.G.DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT	60	60
5	P.G.DIPLOMA IN WEB DESIGNING	60	60
6	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिनिस्ट्रेशन/प्रीवियस/द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पब्लिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा पब्लिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, संशोधन विनियमवारी-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निबंधन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों के अंतर्गत (दो बर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायोगिक/अनुभविक से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बुझ पर सहमति प्राप्त निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धित प्रस्तावों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निबंधन समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाय है, जो प्रवेश की नवीनताम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000) पब्लिक शिक्षा अधिनियम तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

11/15/2009

11/15/2009

11/15/2009

11/15/2009